फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर

प्रार्थी–श्री धुलजी **बनाम** **विपक्षी** श्री हिरा व अन्य

कस्म मुकदमा :–रा.वा. (अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act.) **प्रकरण संख्या** :–49/2021

कार्यवाही विवरण (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/103)

16–12–2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता विपक्षी उपस्थित। मृतक प्रार्थी विधिक वारिसान अथवा विधिक वारिसान की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही। रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि एकमात्र प्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी सूचना न्यायालय में दिनांक 10.06.2025 को दी जा चुकी है। इसके उपरांत प्रकरण में लगातार पाँच पेशियाँ हो चुकी हैं, किन्तु आज दिनांक तक प्रार्थी के कायम मुकाम/विधिक उत्तराधिकारी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गए हैं।

आदेश 22 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार नियत अवधि में कायम मुकाम प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रकरण अबेट हो चुका है। अतः एकमात्र प्रार्थी की मृत्यु उपरांत नियत समय में कायम मुकाम पेश न किए जाने के कारण प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 का प्रार्थना खारिज (अबेट) किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक **16–12–2025** को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर